न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

(1) अपील संख्या 52/2011

कर्मजीतकौर बेवा बलविन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। — अपीलार्थी

बनाम

1. वीरपाल कौर बेवा राजपालसिंह
2. गुरदीपसिंह पुत्र तेजासिंह
3. बलदेवसिंह पुत्र तेजासिंह
4. तेजसिंह पुत्र गुजरसिंह

अकवाम जटसिख निवासीगण भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर ।

5. निरंजनसिह पुत्र हजूरसिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ–मृतक

5/1 निशानसिंह पुत्र निरंजनसिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड खारी तहसील सादुलशहर ।

5/2 गुरमेलसिंह पुत्र निरंजनसिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड खारी तहसील सादुलशहर ।

5/3 छिन्द्रकौर –मृतक

5/3/1 सुखजिन्द्रसिंह पुत्र अमरीकसिंह वारिस छिन्द्रकौर

5/3/2 गगनदीपसिह पुत्र अमरीकसिंह वारिस छिन्द्रकौर

6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपर।

–रेस्पोडेन्ट्स

8/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(1) अपील संख्या 53/2011

कर्मजीतकौर बेवा बलविन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर । ——अपीलार्थी

बनाम

1. वीरपाल कौर बेवा राजपालसिंह
2. गुरदीपसिंह पुत्र तेजासिंह
3. बलदेवसिंह पुत्र तेजासिंह
4. तेजसिंह पुत्र गुजरसिंह

अकवाम जटसिख निवासीगण भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर ।

5. निरंजनसिह पुत्र हजूरसिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ–मृतक

5/1 निशानसिंह पुत्र निरंजनसिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड खारी तहसील सादुलशहर ।

5/2 गुरमेलसिंह पुत्र निरंजनसिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड खारी तहसील सादुलशहर ।

5/3 छिन्द्रकौर– मृतक

5/3/1 सुखजिन्द्रसिंह पुत्र अमरीकसिंह वारिस छिन्द्रकौर

5/3/2 गगनदीपसिह पुत्र अमरीकसिंह वारिस छिन्द्रकौर

6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपर।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर दिनांक 31.05.2011

उपस्थितिः–

श्री तेजासिंह अभिभाषक अपीलार्थी ।

8/1/16

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

श्री मोहनलाल माहर अभिभाषक रेस्पो.

श्री इकबालसिह सिद्धु, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :– 08.01.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीया/अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर के समक्ष दो अलग–अलग वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 92, 188 पेश कर कमशः चक 22 ओ.ए. के खाता संख्या 13/13 में 35–1/4 हिस्सा, खाता संख्या 4/14 में 26–1/4 हिस्सा खाता संख्या 24/24 में 161हिस्सा कुल 222–1/2 हिस्सा में 1/2 हिस्सा व चक 24 ओ. के खाता संख्या 80/78 म 125 हिस्सा, खाता संख्या 47/48 में 1/144 हिस्सा, खाता संख्या 136/125 में 12–23/24 हिस्सा, खाता संख्या 29/68 में 25 हिस्सा कुल 162–139/144 हिस्सा में 1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित करने का पेश किया।

अधी. न्यायालय में दोनों ही वादों में प्रतिवादीगण ने जबाव दावा पेश कर वाद खरिज करने का निवेदन किया। अधी.न्यायालय द्वारा दावा एवं जबाव दावा के आधार पर अनुतोष सहित 6 वाद बिन्दु कायम किये गये। सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 31.05.2011 को उक्त दोनों ही वाद खारिज कर दिये जिनके विरूद्ध उक्त दोनों अपीलें वादिया/अपीलार्थी ने पेश की है। दोनों ही अपीलों में कानूनी बिन्दु एक समान होने से, पक्षकार एक ही होने से एवं उभय पक्ष द्वारा एक साथ बहस किये जाने से दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से वादी पत्र एवं अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि राजपालसिंह के नाम की खातेदारी थी, राजपालसिंह का देहान्त हो चुका है, राजपालसिंह के कोई औलाद नहीं थी। राजपालसिंह की मृत्यु के पश्चात उसके वारिस अपीलांट व प्रतिवादी वीरपालकौर है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि में

8/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

वादिया अपीलांट का 1/2 हिस्सा बनता है। वादिया/अपीलांट ने साक्ष्य से अपने वाद को पूर्ण रूप से साबित किया था फिर भी अधी.न्यापयालय ने वाद को खारिज कर दिया। अतः निवेदन है कि अपीलें स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए वाद को स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में मुख्य रूप से जबाव दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादिया राजपालसिंह की वारिस नहीं है राजपालसिंह की वारिस वीरपालकौर प्रतिवादिया है। वादिया किसी भी प्रकार से भूमि प्राप्त करने की अधिकारी नहीं थी। अधी.न्यायालय ने प्रत्येक तनकी का विस्तृत विवेचन करते हुए वादिया का वाद खारिज किया है। जिसमें कोई विधिक भूल नहीं है। अतः दोनों ही अपीलें खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

दोनों अपीलें 52/2011 व 53/2011 कर्मजीतकौर बनाम वीरकौर आदि अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर के एक ही निर्णय दिनांक 31.05.2011 के विरूद्ध पेश की है जो एक प्रकृति की दो अलग–अलग सम्पतियां यथा तहसील श्रीकरणपुर के चक 24 ओ व चक 22 ओ के प्रकरण संख्या 36/03 व 37/03 में एक ही तिथि को निर्णय पारित किया है। दोनों प्रकरणों में एक समान पक्षकार है जिसमें अपीलांट के दावे खारिज किये है परन्तु अपीलांट बहैसियत माता पुत्र की सम्पति में हक रखने से पुत्र की सम्पति में हिस्सा घोषित करवाने की अधिकारी है। अतः अधी.न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावलियों का अवलोकन किया, दोनों ही सम्पतियां चक संख्या 24ओ व 22 ओ का एक ही विवाद समान पक्षकार होकर एक ही दावा हो सकता था जो अलग–अलग दावे पेश होने से अधी.न्यायालय द्वारा तनकीयात निर्माण में सहवन से प्रकरण संख्या 36/03 की सम्पति चक 24 ओ की तनकी प्रकरण संख्या 37/03 की सम्पति चक 22 ओ में तनकी बनाई गई एवं Vice-

8/1/16

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

versa तनकी बनने से अपीलांट अभिभाषक द्वारा तकनीकी आधार पर अधी. न्यायालय के निर्णय अपास्त करने का निवेदन किया परन्तु दोनों ही प्रकरणों के निर्णयों में सही सम्पतियों का वर्णन किया गया है। अतः अभिभाषक अपीलांट की यह आपत्ति खारिज की जाती है।

अपीलाधीन आदेशों का सार बिन्दु यह है कि विवादित आराजी चक 24 ओ व 22 ओ का उद्भव खातेदार बलविन्द्रसिंह था जिसकी मृत्यु उपरान्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 के प्रावधानुसार दोनों ही चकों की विवादित आराजी बलविन्द्रसिंह के वारिसान उसकी पत्नी कर्मजीतकौर व पुत्र राजपालसिंह के नाम devolve हुई इस stage तक अपीलांट एवं रेस्पों. में कोई विवाद नही है, परन्तु राजपालसिंह की मृत्यु उपरान्त राजपालसिंह के हिस्से की जमीन उसकी बेवा वीरपालकौर के नाम दर्ज होने पर, राजपालसिंह की सम्पति में अपीलांट मां की हैसियत से हिस्सा प्राप्त करने के दावे पेश किये जो अधी. न्यायालय की पत्रावली के प्रदर्श ए13/1 से ए13/9 के अनुसार दोनों ही चकों यथा चक संख्या 24 ओ व 22 ओ की विवादित भूमि राजपालसिंह के देहान्त पश्चात उसकी बेवा वीरपालकौर के नाम दर्ज हुई, में वीरपालकौर को पक्षकार बनाकर राजपालसिंह की भूमि में वीरपालकौर के साथ-साथ अपीलांट को ब.हि.ब. घोषणात्मक दावा प्रकरण संख्या 102/02 कर्मजीतकौर बनाम वीरपालकौर दर्ज हुआ जिसकी फर्दअहकाम दिनांक 21.10.2002 के अनुसार दावा Rejected by withdrawal का सन्दर्भ दस्तावेज हल्फनामा प्रदर्श ईएक्स ए-4 में अपीलांट कर्मजीतकौर ने नोटेरी पब्लिक श्रीकरणपुर के समक्ष दिनांक 21.10.2002 को उपस्थित होकर नोटेरी पब्लिक द्वारा अपीलांट के हल्फिया बयान attest किये है में यह लिखा है कि मनके कर्मजतकौर पत्नी बलविन्द्रसिंह पुत्री दरबारासिंह जाति जटसिख सा. 24 ओ भुट्टीवाला तह0 श्रीकरणपुर जिली श्रीगंगानगर राज0 की हूं । मैं हल्फन बयान करती हूं कि मिकरा के पति बलविन्द्रसिंह के नाम से चक नं0 22 ओ ए व 24 ओ में कृषि भूमि थी जिसका इन्तकाल मिकर के पति के नाम दर्ज था व अब मिकरा के पति बलविन्द्रसिंह का देहान्त हो गया है। जिस कारण

8/11/16

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अब मिकरा के पति की भूमि का इन्तकाल नं0 141 चक नं. 22 ओ ए की भूमि व इन्तकाल नं. 406 चक नं. 24 ओ की भूमि का इन्तकाल मिकरा व मिकरा के लड़के राजपालसिंह के नाम से दर्ज हो चुका है। मैं हल्फन बयान करती हूं कि मिकरा को बलविन्द्रसिंह से एक लड़का राजपालसिंह पैदा हुआ था व राजपालसिंह शादीशुदा था लेकिन मिकरा के लड़के राजपालसिंह की मृत्यु दिनांक 18.08.2001 को हो चुकी है उसके कोई औलाद नहीं थी उसकी एक मात्र वारिस उसकी पत्नी वीरपालकौर ही है। मैं हल्फन बयान करती हूं कि दोनों चकों की भूमि मुझ मिकरा व राजपालसिंह के नाम से इ0न0 141–406 की भूमि का आगे इ0न0 144 व 408 से राजपालसिंह के स्थान पर उसकी पत्नी वीरपालकौर के नाम दर्ज हो चुका हैं वीरपालकौर उसकी पत्नी है जिसके कोई औलाद नहीं है। मै हल्फन बयान करती हूं कि इन दोनों इन्तकालों नं0 144 व 408 में दर्ज राजपालसिंह की भूमि में से मुझ मिकरा को भी हिस्सा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम अनुसार आना था। लेकिन मैं अपना हिस्सा जो राजपालसिंह की भूमि में से आना था को तर्क कर रही हूं यानि मैं हिस्सा लेना चाहती नहीं हूं। राजपालसिंह के नाम की भूमि के इन्तकाल जो वीरपालकौर के नाम दर्ज हो गये है उसके नाम ही रहने दिये जावे मैं उसमें से कोई हिस्सा व हक नहीं ले रही हूं। मैं हल्फन बयान करती हूं कि राजपालसिंह की भूमि में इन्तकाल जो वीरपालकौर के नाम से दर्ज हक है इस बाबत मैनें अदालत उपजिलाधीश राजस्व श्रीकरणपुर में दावा कर रख है जो मैं मिकरा उसे वापिस ले लूगी। आइन्दा कभी भी किसी भी अदालत में जो वीरपालकौर के नाम किसी तरह का राजपालसिंह के नाम दर्ज भूमि में दर्ज हो गई में से कोई हिस्सा व हक लेने बाबत उजरदारी नहीं करूगी। मैं हल्फन बयान करती हूं कि मिकरा ने अपने हिस्सा के 30 बीघा भूमि प्राप्त कर ली है और लिखे देती हूं कि इसके अलावा अन्य भूमि जो मेरे ससुर जगतसिंह मेरे पति बलविन्द्रसिंह व मेरे लड़के राजपालसिंह के नाम से कही भी ओर कृषि भूमि हो उसमें मेरा कोई हिस्सा व हक नहीं होगा और न ही उस हिस्सा को प्राप्त करने के लिये किसी सक्षम अदालत में कोई दावा वगैरा करूगी व मिकरा को 30 बीघा

8/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

कृषि भूमि मिली है वह चक 22 ओ ए में से 10.10 बीघा व चक 24 ओ में से 19.10 बीघा भूमि प्राप्त की हुई है। मैं हल्फन बयान करती हूं कि मिकरा ने यह हल्फनामा पूरे होस हवास बिना किसी नशे के सुन व समझ लिया है। उपरोक्त के अलावा अधी.न्यायालय की पत्रावली का दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श ईएक्स ए–2 के प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि उपरोक्त अनवान के प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण का आपस में राजीनामा हो गया है। अतः वादी उपरोक्त मुकदमा को वापिस लेना चाहता है। अतः दरखास्त पेश कर अर्ज है कि प्रार्थी का को दावा वापिस लेने की इजाजत दी जावे और दावा इसी स्टेज पर खारिज किया जावे। अभिभाषक रेस्पो. द्वारा उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों के प्रकाश में जाहिर किया कि सिविल प्रकिया संहिता की धारा 11 के प्रावधानुसार प्रकरण संख्या 36/03 व 37/03 Resjudicata पूर्व न्याय अनुसार एडमिशन स्तर पर खारिज योग्य था जो अपीलें भी खारिज योग्य होना जाहिर किया।

उभय पक्ष अभिभाषकगण द्वारा अपीलाधीन आदेश की गुणावगुण पर बहस करते हुए अपीलांट अभिभाषक ने अपील मीमों को दोहराया जबकि रेस्पो. अभिभाषक द्वारा सिलसिलेवार अधी.न्यायालय द्वारा विनिश्चित तनकीयात के निर्णयों की ताईद करते हुए प्रत्येक तनकी सही विवेचित एवं निर्णित होना जाहिर किया तथा रेस्पो. वीरपालकौर द्वारा उसके पति राजपालसिंह की विरासत में प्राप्त कृषि भूमि उसके नाम दर्ज होने से उसके द्वारा रेस्पो. सं. 2 से 5 को किया गया बेचान विधिक बेचान है जिसके विधिवत दस्तावेज उपपंजीयक कार्यालय में पंजीबद्ध करवाये है तथा जाहिर किया कि पंजीबद्ध दस्तावेज को discredit (खारिज) करने की शक्तियां सिविल न्यायालय को है। अतः अपीलें खारिज योग्य है। रेस्पो. अभिभाषक द्वारा अपने कथन के समर्थन में न्याय सिद्धान्त आर.आर.डी. 1997 पेज 179, आर.आर.डी. 2016 पेज 278 पेश किये। रेस्पो. अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में जाहिर किया कि बलविन्द्रसिंह व राजपालसिंह की विरासतन के नामान्तरण जो कमशः कर्मजीतकौर व राजपालसिंह तथा राजपालसिंह का नामान्तरण वीरपालकौर के विरूद्ध की गई द्वितीय अपील संभागीय आयुक्त

8/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

बीकानेर द्वारा खारिज की जा चुकी है जिसकी अपील अपीलांट अभिभाषक द्वारा राजस्व मंडल में लम्बित होना जाहिर किया।

पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली पर रेकार्ड का विश्लेश्ण किया, उभय पक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत न्याय सिद्धान्तों का अध्ययन करने के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि :–

1. अधी.न्यायालय का प्रकरण संख्या 102/2002 कर्मजीतकौर बनाम वीरपालकौर का निर्णय दिनांक 21.10.2012 प्रकरण संख्या 36/03 व 37/03 में सीपीसी की धारा 11 के अनुसार Resjudicata होकर दोनों प्रकरण 36/03 व 37/03 दर्ज स्तर पर खारिज योग्य थे जो नहीं होने से इनकी अपीलें इसी आधार पर खारिज योग्य है।
2. अधी.न्यायालय द्वारा तनकियात विनिश्चय सही की है। अतः तनकियात निर्णय अनुसार दावे का निर्णय भी विधिक होने से हस्तक्षेप की गुंजाइस नहीं होने से दोनों अपीलें खारिज योग्य है।
3. रेस्पों. वीरपालकौर द्वारा रेस्पों. सं. 2 से 5 के पक्ष में किये बेचान के दस्तावेज उप पंजीयक कार्यालय में पंजीबद्ध होकर विधिक हस्तांतरण होने से इन्हें खारिज करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को होने से अपीलें खारिज योग्य हैं।
4. विवादित आराजी के उदभव खातेदार बलविन्द्रसिंह की मृत्यु उपरांत अधी. न्यायालय की पत्रावली का प्रदर्श इएक्स 2 जमाबन्दी अंकन अनुसार विरासतन नामान्तरणकरण में कर्मजीतकौर बेवा बलविन्द्रसिंह व राजपालसिंह पुत्र बलविन्द्रसिंह ब.हि.ब. का अंकन है साथ ही इसी प्रदर्श दस्तावेज में राजपालसिंह के देहान्त के पश्चात विरासतन नामान्तरण वीरपालकौर के नाम का अंकन है। तत्पश्चात रेस्पों. सं. 2 से 5 के नाम वीरपालकौर के नाम के स्थान पर दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड

8/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अनुसार उपरोक्त इन्द्राजात संशोधित नहीं हुए हैं जिन्हें इन अपीलों में संशोधन के आधार उपलब्ध नहीं होने से अपीलें खारिज योग्य हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील सं. 52/2011 व 53/2011 खारिज की जाती है। अधी. न्यायालय के निर्णय प्रकरण सं. 36/03 व प्रकरण सं. 37/03 निर्णय दिनांक 31.05.2011 यथावत रखें जाते है।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/1/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर